



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112020-222992
CG-DL-E-06112020-222992

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3545]
No. 3545]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2020/कार्तिक 15, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2020/KARTIKA 15, 1942

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 6 नवंबर, 2020

का.आ. 4025(अ).—केंद्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 2 के खण्ड (ख) के साथ पठित धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 11 जून, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1495 (अ), तारीख 10 जून, 2014 को निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के पैरा 1 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु लागू यात्री सामान नियमों के अधीन यथा अनुज्ञाप्राप्त पालतू कुत्ते और पालतू बिल्ली को 31 मार्च, 2021 तक कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, कोचीन के माध्यम से आयात की मंजूरी दी जाएगी।”

[फा.सं. 109-01/2012-व्यापार]

जी.एन.सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ.1495(अ), तारीख 11 जून, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Animal Husbandry and Dairying)****NOTIFICATION**

New Delhi the, 6th November, 2020.

S.O. 4025(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 read with clause (b) of section 2 of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries number S.O. 1495(E), dated the 10th June, 2014, published, in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of Gazette of India, Extraordinary, dated the 11th June, 2014, namely:-

In the Schedule to the said notification, in paragraph 1, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that a pet dog or pet cat as permitted under the applicable baggage rules shall be allowed to be imported through Cochin International Airport, Cochin till 31st March, 2021.”

[F. No. 109-01/2012-Trade]

G.N. SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1495 (E), dated the 11th June, 2014.